भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *332

24 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

332. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की है;

(ख) इस क्षेत्र में अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं में सुधार के लिए संस्वीकृत निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक अस्पताल बनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

24 मार्च, 2026 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं.332 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) उत्तर पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, यह समीक्षा मुख्य रूप से कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) के माध्यम से की जाती है, जो एनएचएम के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से किया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) की बैठकों में भी की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) उत्तर पूर्वी राज्यों सहित पूरे देश में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है:

(i) **एनएचएम** - एनएचएम के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में निर्धारित आवश्यकताओं और कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) में उल्लिखित समग्र संसाधन सीमा के भीतर, टेलीमेडिसिन सहित जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता-आधारित तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित राज्यों को दी गई आरओपी स्वीकृतियों का विवरण निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

(ii) **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम):** पीएम-एबीएचआईएम एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय क्षेत्र के घटक शामिल हैं। इसका उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता को बढ़ाना भी है।

योजना के सीएसएस घटक के तहत, उत्तर पूर्वी राज्यों को 1083 भवन-रहित उप स्वास्थ्य केंद्र-आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी - एएएम) के सुदृढ़ीकरण के लिए 574.41 करोड़ रुपये, 4 शहरी-एएएम के लिए 2.85 करोड़ रुपये, 207 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) के लिए 182.28 करोड़ रुपये, 111 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) के लिए 201.79 करोड़ रुपये और जिला अस्पतालों में 37 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) के लिए 908.68 करोड़ रुपये की राशि की सहायता प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक उत्तर पूर्वी राज्यों को एनएचएम के तहत जारी केंद्रीय निर्गत का विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

उत्तर पूर्वी राज्यों में पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों और बजट का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें अल्पसेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां पहले से कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज मौजूद नहीं है। इस योजना के तहत, प्रस्तावित सभी 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 12 मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, केंद्रों प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती/विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाना है। पीएमएसएसवाई के अंतर्गत, गुवाहाटी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी राज्यों में पीएमएसएसवाई के तहत उन्नयन के लिए अनुमोदित सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का विवरण अनुलग्नक-III पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस), आइजोल में रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज (आरआईपीएएनएस) और इम्फाल में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) जैसे केंद्र सरकार के संस्थान उत्तर पूर्वी राज्यों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं।

अनुलग्नक-I

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक उत्तर पूर्वी राज्यों को एनएचएम के तहत जारी केंद्रीय निर्गमन

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अरुणाचल प्रदेश	188.53	233.82	404.55	388.86	244.06
2	असम	1955.93	1,981.83	2,257.06	2,076.25	1,838.19
3	मणिपुर	95.59	61.40	169.12	279.16	175.67
4	मेघालय	282.46	261.56	261.39	297.95	253.42
5	मिजोरम	93.82	111.82	134.42	159.96	94.77
6	नागालैंड	126.66	91.38	184.84	204.47	114.35
7	सिक्किम	51.86	73.30	68.17	81.67	45.38
8	त्रिपुरा	217.95	231.90	264.31	268.67	246.72

टिप्पणी: वित्तीय वर्ष 2025-26 *के लिए जारी की गई निर्गत राशि* 26.02.2026 *तक अद्यतन है और अनंतिम है।*
उपरोक्त निर्गमन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।

अनुलग्नक-II

पीएम-एबीएचआईएम के अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों और बजट का राज्यवार विवरण

(करोड़ रू. में)

राज्य	भवन-रहित एसएचसी - एएएम		शहरी-एएएम		बीपीएचयू		आईपीएचएल		सीसीबी		
	स्वीकृत इकाइयां	स्वीकृत राशि	स्वीकृत इकाइयां	स्वीकृत राशि	स्वीकृत इकाइयां	स्वीकृत राशि	स्वीकृत इकाइयां	स्वीकृत राशि	स्वीकृत इकाइयां	स्वीकृत राशि	वित्तीय वर्ष **2025-26** में कुल स्वीकृत राशि
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	22	43.19	1	23.75	66.94
असम	768	399.59	0	0	207	182.28	33	47.62	27	671.18	1300.67
मणिपुर	64	35.52	3	2.1	0	0	15	31.5	2	47.5	116.62
मेघालय	251	139.3	0	0	0	0	10	20.34	3	71.25	230.89
मिजोरम	0	0	1	0.75	0	0	10	20.35	1	23.75	44.85
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	11	21.59	1	23.75	45.34
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	3	5.22	1	23.75	28.97
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	7	11.98	1	23.75	35.73
कुल	**1083**	**574.41**	**4**	**2.85**	**207**	**182.28**	**111**	**201.79**	**37**	**908.68**	**1870.01**

अनुलग्नक-**III**

उत्तर पूर्वी राज्यों में पीएमएसएसवाई के तहत उन्नयन के लिए अनुमोदित सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थान (जीएमसीआई)

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य	जीएमसी का नाम	अनुमोदित सुविधा	अनुमोदित परिव्यय		
				केन्द्रीय अंशदान	राज्य/संस्थान का अंशदान	कुल
1	असम	गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक	120	30	150
2	असम	असम मेडिकल कॉलेज, डिब्रूगढ़	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक	120	30	150
3	त्रिपुरा	अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिपुरा	सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक	120	30	150
